

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड भोपाल

क्रमांक/स्था./बी-1/विविध-185/स्थायीकरण/1422 भोपाल, दिनांक 05/05/2025
प्रति,

संयुक्त संचालक/उप संचालक,
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय भोपाल/इन्दौर/उज्जैन/
ग्वालियर/सागर/जबलपुर/रीवा.

विषय:- कृषि उपज मंडी समितियों में पदस्थ मंडी समिति सेवा के सेवकों के स्थायीकरण के संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी भेजने बाबत।
संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1876-1877 दिनांक 07.04.2025.

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा कृषि उपज मण्डी अधिनियम की धारा 80 तथा 30(2) के तहत कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा मंडी उपविधि 1987 की कंडिका 34 में निम्नानुसार प्रावधान दिनांक 11.04.2025 तक स्थापित किये जाने के निर्देश दिए गए हैं:-

“उपविधि 34(घ) “कृषि उपज मण्डी समिति सेवा के लिपिक एवं भृत्य/चौकीदार/स्वीपर संवर्ग के सेवकों को राज्य शासन द्वारा स्थायीकरण के संबंध में जारी मार्गदर्शी निर्देशों का अनुसरण करते हुए “स्थायीकरण” कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा किया जा सकेगा।”

अतः उक्त प्रावधान अंतर्गत आपके संभाग के अधीनस्थ कृषि उपज मण्डी समितियों में कार्यरत मंडी समिति सेवा के लिपिक एवं भृत्य/चौकीदार/स्वीपर संवर्ग के सेवकों के स्थायीकरण के संबंध में की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी शीघ्र मुख्यालय को भिजवायें।

(रितु चौहान)

संयुक्त संचालक(स्थापना)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल.

क्रमांक/स्था./बी-1/विविध-185/स्थायीकरण/
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भोपाल, दिनांक /05/2025

भारसाधक अधिकारी/सचिव, कृषि उपज मंडी समिति (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संयुक्त संचालक(स्थापना)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल.